कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों की स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर (बी0ए0/बी0एस–सी0/बी0कॉम0/एम0ए0/एम0एस–सी0/एम0कॉम0) की कक्षाओं में प्रवेश के नियम

(सत्र 2019–2020 से प्रभावी)

अध्याय–1:साधारण नियम–

1–1: विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाइन (On Line) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएगें। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।

1–2: विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। On Lineप्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा ।

1–3: महाविद्यालयों/परिसरों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के On Lineप्रवेश आवेदनों के आधार पर अंतरिम योग्यता सूची तैयार की जायगी तथा काउसलिंग आरम्भ होने की निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित महाविद्यालय/परिसर को उपलब्ध करा दी जाएगी। महाविद्यालय/परिसर अंतरिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगें जिनकी समस्त अर्हताओं तथा On Lineप्रवेश आवेदन में अंकित सूचनाओं की सत्यता का मूल अकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर/महाविद्यालय स्तर पर Verification कर लिया गया हो।

1–4. On Line माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर में अपने शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की दो–दो स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

1–5. अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय बिन्दु–(क) तथा बिन्दु–(ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ–पत्र प्रारूप पर हस्ताक्षर करने होंगें। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे।

Sanjay Pant
08/07/19

(क) **छात्र द्वारा शपथ–पत्र**

(1) मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूंगा/रखूँगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नही लूंगा/लूंगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश तथा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूगा/करूँगी अन्यथा मैं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी।

(2) मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा।

(3) मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।

(4) यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरूद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर– प्रति हस्ताक्षरित
(सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर के शिक्षक द्वारा)

(ख) **पिता अथवा अभिभावक की घोषणा**

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री/कु0/श्रीमती ....जो मेरे संरक्षण में रहेंगे/रहेंगी, विश्वविद्यालय में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगे/रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं तो, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर–पिता/अभिभावक

08/07/19

1–6: (क) कुमाऊँ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातकों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु कुल योग्यतांक I = (X+2Y+2Z)के 5 प्रतिशत अथवा अधिकतम् 150 अंक अतिरिक्त प्रदान किये जायेंगे।

(ख) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता–क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा। परन्तु यू0जी0सी0 के निर्देशानुसार कुमाऊँ विश्वविद्यालय के "सेण्टर ऑफ एडवांस स्टडीज" विभागों में उत्तराखण्ड राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों हेतु योग्यताक्रम में आने की स्थिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से निर्गत् निर्देशानुसार प्रवेश किये जा सकते हैं।

(ग) प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर स्तर के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता में 10 प्रतिशत अधिक अंक होने पर (जैसे निर्धारित अर्हता उपाधि बी0ए0 या बी0 काम0 में 10 प्रतिशत अधिक अंक यानि न्यूनतम 40 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत या बी0एस–सी0 में न्यूनतम 45 प्रतिशत के स्थान पर 55 प्रतिशत अंक होने पर) ही प्रवेश अर्ह किया जाएगा। एतदद्वारा निर्धारित अर्हता से कम अंक होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

1–7: किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा साधनों की उपलब्धता के आधार पर हीप्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

1–8: (क) जो व्यक्ति नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय दवारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय–परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ग) यदि किसी छात्र के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को अन्य नियमों के अन्तर्गत अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।

(घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरूद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरूद्ध की गयी अवधि के लिए

Sanjay Pant 08/07/19

महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

1–9: सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते है। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा।

1–10(अ): किसी भी अभ्यर्थी को जो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ब): किसी भी अभ्यर्थी को जो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप सजा के विरूद्ध विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रस्तर 1.8 (ख) के अर्न्तगत "धोखाधड़ी से प्रवेश लेना" माना जायेगा।

1–11: किसी भी विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है, यदि उसने विश्वविद्यालय दवारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण–पत्र सम्बन्धित महाविद्यालय/संकाय में जमा न किया हो।

1–12: वार्षिक परीक्षा पद्धति (Annual Mode)से आच्छादित ऐसे अभ्यर्थी जिसने प्रायोगिक विषय के साथ किसी कक्षा में विधिवत् प्रवेश लिया हो किन्तु किसी अपरिहार्य कारणों से उस वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित न हो सका हो, तो उसे दूसरे वर्ष उसी कक्षा की परीक्षा में व्यक्तिगत/भूतपूर्व परीक्षार्थी के रुप में सम्मिलित होने की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात् ही दी जा सकती है।

1–13: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक–1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है–

1–	अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2–	अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3–	अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत

(नॉन–क्रीमीलियर का अद्यतन प्रमाण पत्र जो कि पिछले एक वर्ष से पूर्व का न हो, प्रस्तुत करना होगा)।

नोट– महिलाओं, सैनिकों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार हॉरिजन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा–

08/07/19

(1) महिलाऐं 30 प्रतिशत

(2) भूतपूर्व सैनिक 05 प्रतिशत

(3) दिव्यांग 04 प्रतिशत

(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियोंके आश्रित 02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता–क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)।

1–14: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधा दिये जाने का निर्णय लिया ।

(i) Extension in date of admission upto 30 days

(ii) Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement.

(iii) Increase in intake capacity up to 5% course-wise.

(iv) Reservation of at least one seat in merit quota in technical/professional institutions.

(v) Waiving of domicile requirements.

(vi) Facilitation of migration in second and subsequent years.

1–15: स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा–

(क)	एन0सी0सी0 'बी' 'सी' अथवा 'जी' पार्ट–1,जी–2 प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी –	25 अंक
(ख)	राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कमसे कम सात दिवसीय में भाग लेने पर)–	20 अंक
(ग)	प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवा निवृत्तकर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगाभाई/बहन–	20 अंक
(घ)	जम्मू–कश्मीर में तैनात अर्द्ध–सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी/सगा भाई बहन तथा जम्मू–कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगाभाई/बहन–	20 अंक
(ड)	विश्वविद्यालय की फर्स्ट एलेवन टीम में भाग लेनेवाले विद्यार्थी	20 अंक
(च)	शासन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी जिन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इस निमित्त प्रमाणपत्र निर्गत किया गया हो।	25 अंक
(छ)	राज्य स्तर पर कोई पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ीअन्तरविश्वविद्यालय टीम से संयुक्त विश्वविद्यालयप्रतियोगिता खेलने पर,	25अंक

Sanjay Pand 08/07/19

अथवा

किसी छात्र/छात्रा ने विश्वविद्यालय टीम का सदस्यहोकर अंतरविश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो या इसी स्तर की उच्चटीमों का सदस्य रहाहो या उच्च स्तर की वाद–विवादप्रतियोगिता/सांस्कृतिककार्यक्रम/प्रदर्शनी में भाग लिया हो–

(ज) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर– 50 अंक

नोटः उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम्50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम् योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नही जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

1–16: यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक अथवा स्नाकोत्तर स्तर पर ऑनलाइन प्रवेश आवेदन प्रपत्र में विषय/ संकाय/महाविद्यालय के लिए एक से अधिक विकल्प इंगित किये हों तो विषय/संकाय/महाविद्यालय के लिए परिवर्तन सम्बन्धित विषय/संकाय/महाविद्यालय में स्थान उपलब्ध होने तथा अभ्यर्थी के अर्ह होने की दशा में परिसर/ महाविद्यालय के स्तर पर विषय परिवर्तन किसी भी स्थिति में परिसर/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश पाये अभ्यर्थियों की सत्यापित सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित किए जाने के उपरान्त स्वीकार्य नहीं होगा। परिसर/महाविद्यालय स्तर पर प्रवेश सूची के सत्यापन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह का समय अनुमन्य होगा।

1–17 (क): प्रवेश नियमों के अन्तर्गत रहते हुए किसी भी विद्यार्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के 02 वर्ष के अन्दर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा तथा विद्यार्थी को स्नातक में प्रथम बार प्रवेश लेने की तिथि से स्नातक स्तर पर 5 वर्ष (10 सेमेस्टर) तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 4 वर्ष (08 सेमेस्टर) कुल 09 वर्ष का अध्ययनकाल (18 सेमेस्टर) (विधि/शिक्षा/ व्यावसायिक पाठ्यक्रम को छोड़कर) अनुमन्य होगा। उक्त निर्धारित शैक्षिक अवधि के उपरान्त लिया गया प्रवेश अवैध माना जायेगा तथा उस कक्षा/विषय की उपाधि निरस्त कर दी जायेगी।

(ख): एक विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को किसी भी दशा में अन्य विषय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।

1–18: कुमाऊँ विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों/परिसरों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी0सी0) के किसी भी विद्यार्थी को सामान्यतः प्रवेश नही दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय/संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश चाहने

Sanjay Pant
08/07/19

वाले विश्वविद्यालय के बाहर के अभ्यर्थियों को प्रवर्जन प्रमाणपत्र सम्बन्धित महाविद्यालय/संकाय में जमा करना अनिवार्य होगा।

1–19: एक सत्र् में स्नातक/स्नातकोत्तर (सेमेस्टर)/डिप्लोमा अथवा शोध में से किसी एक ही पाठ्यक्रम/उपाधि/डिप्लोमा हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश अनुमन्य होगा। एक से अधिक पाठ्यक्रम/उपाधि/डिप्लोमा में प्रवेश लेने पर एक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रवेश निरस्त कर दिये जाएंगे। एक ही विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय में किसी एक एड–ऑन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक 1–6/2007(cpp-II) दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 (जो कि एक ही सत्र में दो उपाधि या संयुक्त उपाधि के संबंध में है) के अनुपालन में विश्वविद्यालय समिति के निर्णयानुसार एक सत्र में उस निश्चित अवधि की एक ही उपाधि मान्य होगी। यदि किसी अभ्यर्थी की किसी कारण वश एक सत्र में दो उपाधि होती हैं तो अभ्यर्थी द्वारा नियमानुसार उस समय चल रही एक उपाधि/सेमेस्टर को निरस्त कराना होगा।

1–20 (क): प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा पॉच प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

(ख): अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद–विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।

1–21: अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से सम्बन्धित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के सम्बन्ध में भी लागू होगा।

1–22: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एंव निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र–छात्रा के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

1–23: The candidates for the Under-Graduate programs will take a compulsory paper/ subject and choose the optional-subject combinations as per the group-scheme provided below:

(a) **<u>For B.Sc. :</u>**

(i) The candidate has to appear in exam of the Compulsory Paper of "Environmental Sciences" in the 4th Semester.

Sanjay Pant
08/07/19

(ii) A student has to opt "**total three optional subjects** out of the Four (04) groups given below", selecting only one Optional Subject from one Group.

Mathematics groups :			
Group A	**Group B**	**Group C**	**Group D**
1. Mathematics	1. Physics	1. Chemistry 2. Computer Science 3. Economics 4. Information Technology 5. Geography 6. Military Science	1. Geology 2. Statistics

Biology groups :			
Group A	**Group B**	**Group C**	**Group D**
1. Botany	1. Zoology	1. Chemistry 2. Economics 3. Information Technology 4. Geography 5. Military Science	1. Geology 2. Forestry

(b) **For B.A. :**

(i) The candidate has to appear in exam of the Compulsory Paper of "Environmental Sciences" in the 4th Semester.

(ii) The candidate has to take **OneCompulsory Subject** of Language (to be chosen from Hindi/ or Sanskrit / or English) in I & II Semester.
विद्यार्थी को प्रथम तथा द्वितीय सेमेस्टर के लिए **भाषा का एक अनिवार्य विषय** (हिन्दी/या संस्कृत/या अंग्रेजी में से एक चुनते हुए) लेना होगा।

(iii) The candidate has to opt **total three optional subjects** out of the Five Groups given below", selecting only one Optional Subject from one group.
विद्यार्थी को **निम्न उल्लेखित पाँच श्रेणियों** में से **किन्हीं तीन वैकल्पिक विषयों** का चयन यह दृष्टिगत रखते हुए करना है कि एक श्रेणी से केवल एक ही विषय चुनना अनुमन्य है।

Sanjay Pant
08/07/19

The Five Groups of optional subjects in B.A. are as follows:

Group-A	Group-B	Group-C	Group-D	Group-E
1. English Literature 2. Sanskrit Literature 3. Kumauni Bhasha	1. Economics 2. Psychology 3. Drawing & Painting 4. Home Science 5. Anthropology 6. Physical Education	1. History 2. Geography 3. Music 4. Information Technology 5. Statistics 6. Military Science	1. Sociology 2. Education	1. Hindi Literature 2. Political Science 3. Mathematics

प्रत्येक परिसर/महाविद्यालय में विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लिये जाने हेतु प्रत्येक ग्रुप से केवल उन्हीं विषयों का चयन कर सकेंगे, जो विषय उस परिसर/महाविद्यालय में उपलब्ध हो।

(c) **For B. Com. :**

(i) The candidate has to appear in examination of the Compulsory Paper of "Environmental Sciences" in the 4th Semester.

(ii) The candidate has to study Four Papers in each Semester.

Sanjay Pant 08/07/19
परीक्षा नियंत्रक
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों की स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर (बी0ए0/बी0एस–सी0/बी0कॉम0/एम0ए0/एम0कॉम0/एम0एस–सी0) की कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हता निर्धारण के नियम

(शिक्षा सत्र 2019–2020)

अध्याय–2:– योग्यता सूची निर्धारण के नियम –

2.1: स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश भर्ती की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट/Senior Secondary (10+2) कक्षा में प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे।
उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदित बोर्ड/यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

(क): कला, दृश्य कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता कम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत् होगी :–

(1) कला संकाय,दृश्य कला हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)

(2) विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
(45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)

(3) वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय सहित 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत) अथवा इण्टरमीडिएट कला/विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)। इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग हेतु प्रत्येक संकाय के लिए प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) यदि किसी छात्र/छात्रा का अर्ह परीक्षा के उपरान्त सम्बन्धित विषयों के अध्ययन में अवरोध आया हो तथा किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर अनुत्तीर्ण न हुआ हो, प्रत्येक अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में से 5 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता क्रम से प्रवेश दिया जा सकता हैं।

(ग) (i) यदि कोई छात्र स्नातक स्तर की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (e.g. स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश चाहता हैं तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विधिवत आवेदन करना होगा। जिसके उपरान्त ऐसे छात्र को सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नियम 2–1 (क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर एवं सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर/महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

Sanjay Pant
08/07/19

यदि कोई छात्र विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर कला/वाणिज्य एवं विज्ञान की प्रथम सेमेस्टर कक्षा में अनुत्तीण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में विज्ञान अथवा वाणिज्य से कला संकाय में प्रवेश लेना चाहता है एवं साथ ही स्नातकोत्तर (कला संकाय) का कोई छात्र प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीण हो गया है अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना विषय परिवर्तित कर कला संकाय के अन्तर्गत परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में विधिवत प्रवेश लेने हेतु आवेदन करना होगा। जिसके उपरान्त ऐसे छात्र को सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नियम 2–1(क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिये प्राप्तांकों में से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर एवं सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर/महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है। ऐसे प्रवेशित छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में आवंटित नामांकन संख्या का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे प्रवेशित छात्रों को लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

2.2: विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिक्षेत्र में स्थानान्तरित होकर आये व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन से वांछित प्रमाण–पत्र प्राप्त कर स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि स्थानान्तरण से पूर्व उसके वार्ड का प्रवेश पूर्व स्थान के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में हो चुका हो तथा पूर्व विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से 75 प्रतिशत तक मिलता हो और जिसकी संस्तुति कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा गठित सक्षम समिति द्वारा प्रदान की गयी हो।

2.3: शिक्षणेत्तर कार्य–कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों/संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर माननीय कुलपति जी अपने विवेक से प्रवेश दे सकते हैं।

2.4: परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन–पाठन प्रारम्भ किया जायेगा।

2.5: स्नातकोत्तर (विज्ञान संकाय) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारण हेतुनियम (जहाँ लागू हो) –

Calculation of Index for P.G.-I Semester Admission.(Where ever Applicable)

The following formula would be used for admission to **P.G.-I Semester** class:

I= x+2y+2z (Merit Index)

X= Marks obtained in practicals of all subjects at U.G. level

Y= Marks obtained in theory of all subjects at U.G. level

(This would include all the subjects taken at U.G. level)

Z= Total marks obtained in theory at U.G..level in the subject in

Sanjay Pant
08/07/19

which admission is requested at P.G. Semester class
(Admission would be given to P.G. Semester-I, only in one of the subjects taken at the U.G. level)

मान्यता प्राप्त एन0 आई0 ओ0 एस0 (National Institute of Open Schooling) बोर्ड के उत्तीर्ण छात्रों को 05 विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रवेश लेने हेतु सबसे अच्छे पाँच विषयों का चयन करना होगा।

2.6: कला संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा–

(1) कोई भी स्नातक उपाधि धारक अभ्यर्थी (स्नातक की उपाधि यू0जी0सी0 द्वारा मान्तया प्राप्त संस्थाओं से उर्त्तीण होना अनिवार्य है तथा स्नातक (कला/वाणिज्य/विज्ञान) की उपाधि कम से कम तीन वर्ष होनी चाहिए) जिसने स्नातक की परीक्षा न्यूनतम 40 प्रतिशत के साथ उर्त्तीण की हो, को स्नातकोत्तर (कला संकाय/विषय में) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्ह माना जायेगा तथा स्नातकोत्तर (कला संकाय) के प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में प्रवेश हेतु अर्ह माना जाएगा। इसी प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक (वाणिज्य संकाय) की परीक्षा न्यूनतम 40 प्रतिशत के साथ उर्त्तीण की हो, ऐसे अभ्यर्थी स्नातकोत्तर (वाणिज्य संकाय) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्ह माने जायेगे।

(2) कला स्नातक द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी यह सुविधा रहेगी कि वे कला संकाय के किसी भी ऐसे विषय में स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्ह होगें, जिसमें प्रयोगात्मक परीक्षा न होती हो। कला संकाय के किसी प्रयोगात्मक विषय में (भूगोल के अतिरिक्त) स्नातकोत्तर प्रवेश हेतु वे ही अभ्यर्थी अर्ह होंगें जिन्होंने स्नातक उपाधि उस प्रयोगात्मक विषय को लेकर प्राप्त की हो ।

Sanjay Pant
परीक्षा नियंत्रक 08/07/19
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल